न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू, जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–64/2019

वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–19.06.2019

निर्णय दिनांकः– 28.06.2019

उनवान

नदीम खान पुत्र सईद खान जाति–मुसलमान, निवासी ग्राम–डिंगरडा मजरा नयाटीला, तह0 पीपलू जिला–टोंक

वादी

बनाम

1.मसूद खॉ पुत्र अब्दुल हफीज खॉ जाति–मुसलमान, निवासी ग्राम– डिंगरडा मजरा नयाटीला, तह0 पीपलू जिला–टोंक

2.तहसीलदार, पीपलू

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा

अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राज.टि.एक्ट 1955

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण–श्री कमलेश गुर्जर

निर्णय दिनांक–28.06.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी जाति से मुसलमान हैं और उन पर मुस्लिम विधि लागु होती हैं। प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात भूमि आराजी खसरा न0 711/3 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा व खसरा न0 712/1 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम नयाटीला में स्थित हैं। प्रतिवादी संख्या 01 मसूद खॉ वादी के ताऊ हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

मसूद खॉ के कोई आस औलाद नहीं थी। जिसकी वजह से उन्होनें अपने भाई सईद खान के बड़े लड़के वादी नदीम खान को अपने पास रख लिया था और वादी वर्षों से प्रतिवादी संख्या 01 के साथ बतौर पुत्र निवास कर रहा है वृद्धावस्था में सेवा कर रहा हैं और उनके समस्त खर्चों की अदायगी कर रहा है। वादी की खिदमत से प्रसन्न होकर प्रतिवादी संख्या 01 मसूद खॉ ने अपनी उक्त वर्णित आराजियात एवं मकान की वसीयत दिनांक 15.11.2018 को वादी के हक में निष्पादित कर उपपंजीयक पीपलू में रजिस्टर्ड करवा दी। वसीयत के निष्पादन के पश्चात ही शाम को मगरिब की नमाज अदा करने के बाद वादी के पिता सईद खॉ के सभी वारिसान को बुलाकर एवं ग्राम वासियों की मौजुदगी में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी उक्त वर्णित आराजियात को जुबानी हिबा भी वादी को कर दी और कब्जा सुपुर्द कर दिया। जिससे वादी हिबा की गई उक्त वर्णित आराजियात का मालिक स्वामी बन गया। हिबा की एक याद्दाश्त भी प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी के हक मे तहरीर की हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जीवन निर्वाह एवं मय्यत में होने वाले खर्चो के लिए अपने पास अलग खाते की भूमि रख ली जिसकी नकल संलग्न हैं। राजस्व रिकॉर्ड में जुबानी हिवा और याद्दाश्त के आधार पर वादी के नाम का अंकन नहीं किये जाने की वजह से वादी द्वारा यह उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं और वादी ने भूमि आराजी खसरा न0 711/3 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा व खसरा न0 712/1 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम नयाटीला का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से श्री कमलेश गुर्जर ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया। वादी ने स्वयं का शपथपत्र बतौर साक्ष्य पेश किया। इसके अतिरिक्त गवाह शफीक खॉ , वसीम खान तथा गोपाल जाट के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य, जमाबन्दी की प्रति, वसीयत की प्रति एवं हिबा की याद्दाश्त पेश की। उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण की सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं प्रस्तुत जवाब दावे एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरो एवं पत्रावली में शामिल राजीनामें का अवलोकन किया। राजीनामें अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 ने स्वीकार किया हैं कि उसने आराजी खसरा न0 न0 711/3 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा व खसरा न0 712/1 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम नयाटीला को दिनांक 15.11.2018 को वसीयत करने के पश्चात मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सईद खान के सभी वारिसानों व ग्रामवासियों की मौजूदगी में हिबा कर दिया हैं। वादी के नाम भूमि दर्ज करने में प्रतिवादी संख्या 01

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टोंक

को कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ने मुस्लिम शरियत के अनुसार जुबानी हिबा किया हैं, जो सही हैं। वसीयत और हिब्बा किये जाने को गवाहन् ने भी अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया हैं। जिसका किसी के द्वारा खण्डन नहीं किया हैं और न ही कोई उज्र आपत्ति पेश की हैं। जमाबन्दी खाता संख्या 03 संवत् 2071–2074 में वर्णित जमाबन्दी से स्पष्ट हैं कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम हिबा की गई संपत्ति के अतिरिक्त भी संपत्ति हैं जो उसने अपने जीवन निर्वाह व मय्यत में होने वाले खर्चों के लिए अपने पास रखी हुई है। राजीनामे पर वादी और प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं एवं फोटो लगी हुई हैं। जिनकी पहचान उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई हैं।

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे एवं राजीनामें के आधार पर वाद/वादी स्वीकार किये जाने के कारण एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत कानुनी नजींरों का अवलोकन करने के पश्चात वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि भूमि आराजी खसरा न0 न0 711/3 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा व ख0न0 712/1 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम नयाटीला का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 के स्थान पर वादी के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू